न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ (सीकर)

बइजलास–अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 94/2019.

1. भागूराम पुत्र मंगलाराम उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम विजयपुरा तन खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) ।
2. जैसाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम विजयपुरा तन खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) ।
3. नानूराम पुत्र मंगलाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम विजयपुरा तन खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) ।
4. गोपाल पुत्र मंगलाराम उम्र 44 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम विजयपुरा तन खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) ।
5. भोलाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम विजयपुरा तन खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) ।
6. छोटीदेवी पुत्री मंगलाराम पत्नि भागचन्द उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी पितृगृह ग्राम विजयपुरा तन खूड़ ससुराल ग्राम करीरों की ढाणी तन बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

---वादीगण

ब ना म

1. मंगलाराम पुत्र ईशराराम उम्र 90 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम विजयपुरा तन खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
2. राज्य सरकार जरिये –तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

-----प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनलाल पलसानियॉ विद्वान अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।
2. श्री नन्दलाल धायल विद्वान अधिवक्ता प्रति. सं. 01 की ओर से।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

1. वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :– कि राजस्व ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का खूड भू. अ. नि. क्षैत्र खूड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.) की तन में अवस्थित वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल ख.नं. 1017 रकबा 1.00 है., ख.नं. 1018 रकबा 1.01 है. ख.नं. 1019 रकबा 0.96 है. किता 3 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्से की खातेदारी एवं ख.नं. 961 रकबा 0.64 है. ख.नं. 962 रकबा 0.10 है., ख.नं. 963 रकबा 1.77 है., ख.नं. 964 रकबा 0.22 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.73 हैक्टेयर संपूर्ण की खातेदारी व ख.नं. 965 रकबा 1.75 है., ख.नं. 966 रकबा 0.05 है., ख.नं. 967 रकबा 0.72 है, ख.नं. 968 रकबा 1.27 है. ख.नं. 969 रकबा 1.30 है. कुल किता 5 कुल रकबा 5.09 हैक्टेयर संपूर्ण की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 मंगलाराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है किन्तु कब्जा काश्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 का संयुक्त रुप से चला आ रहा है। उक्त भूमियों के साबिक ख.नं. 593 मि., ख.नं. 600, ख.नं. 600 मि., ख. नं. 361, ख.नं. 631 मि., ख.नं. 632 है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित है। वादाधीन कृषि आराजियात वादीगण की पैत्रिक कृषि संपदा है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जायन्दा पुत्रगण एवं पुत्री है इसलिए प्रत्येक वादीगण का बाई बर्थ (जन्म से) 1/7–1/7 हक हिस्सा वादाधीन कृषि आराजियात में है। वादीगण प्रत्येक अपने उक्त हक हिस्से की कृषि आराजियात को संयुक्त रुप से काश्त कर अपने उपयोग तथा उपभोग में लेते चले आ रहे है किन्तु वादाधीन भूमियों का राजस्व रिकार्ड अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम है तथा प्रतिवादी सं. 01 विगत 10–15 दिनों से भू–माफिया गिरोह के लोगो के सम्पर्क में है, जो वादीगण की पैत्रिक सम्पदा

को बेचान, हस्तानान्तरण करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी सं. 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है क्योकि वादाधीन सम्पदा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमियां है तथा वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जायन्दा पुत्रगण/पुत्री है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र/पुत्रीयां अपने पिता के जीवनकाल में अपनी पैत्रिक भूमियों की खातेदारी उद्घोषित करवाये जाने के कानूनन रुप से अधिकारी है, इसलिए वादाधीन कृषि आराजियात में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमियों में से वादीगण प्रत्येक को 1/7–1/7 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं तद्नुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड संशोधित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। तदहेतु दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड संशोधन का प्रस्तुत किया जाना लाजिम हुआ है। वादाधीन कृषि आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की पैत्रिक कृषि आराजियात है वादीगण प्रत्येक अपने उक्त हक हिस्से की कृषि आराजियात को संयुक्त रुप से काश्त कर अपने उपयोग तथा उपभोग में लेते चले आ रहे है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जायन्दा पुत्रगण/पुत्री है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र/पुत्रीयां अपने पिता के जीवनकाल में अपनी पैत्रिक भूमियों की खातेदारी उद्घोषित करवाये जाने एवं अपनी भूमियों को संरक्षित रखने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 01 विगत 10–15 दिनों से भू–माफिया गिरोह के लोगो के सम्पर्क में है, जो वादाधीन भूमियों को बेचान, हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करने की धमकी दी जा रही है जबकि प्रतिवादी सं. 01 के नाम मात्र राजस्व रिकार्ड होने मात्र से वादाधीन कृषि आराजियात में वादीगण के हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है तथा वादाधीन कृषि भूमियां वादीगण की कब्जे काश्त की एवं उपयोग तथा उपभोग की पैत्रिक आराजियात होने से प्रतिवादी सं. 01 को ऐसा

सहायक [illegible] (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

करने का विधि में अधिकार सुरक्षित नहीं है। यदि प्रतिवादी सं. 01 अपनी अवैध प्रक्रिया में कामयाब हो गया तो वादीगण वादाधीन कृषि आराजियाज में से अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमियों से वंचित हो जायेगें इस कारण वादीगण के लिए अपने कब्जे काश्त एवं हक अधिकार की भूमियों को संरक्षित करने के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाना आवश्यक हो गया है। लिहाजा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वादीगण के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमियों के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न न स्वयं करे न नोकर चाकर एजेन्ट से करावे, न रहन रखे, न विक्रय करे एवं किसी भी प्रकार से हक हस्तानान्तरण नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे इसलिए दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजिम हुआ है। वाद कारण प्रतिवादी सं. 1 के अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड होने की आड़ में प्रतिवादी सं. 01 विगत 10–15 दिनों से भू–माफिया गिरोह के लोगो के सम्पर्क में है, जो वादाधीन भूमियों को बेचान, हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रुप से चालू है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आवश्यक प्रकृति का है क्योंकि वादाधीन आराजियात वादीगण की पैत्रिक कृषि आराजियात हैं जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त होकर संयुक्त रुप से उपयोग तथा उपभोग में लेते चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी सं. 1 मात्र राजस्व रिकार्ड की आड में उक्त आराजी को भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों को अन्तरित करना चाहता है जिनकी संपूर्ण राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित कार्यवाही प्रतिवादी सं. 2 से होनी है जो कि लोकसेवक है जिसके विरुद्व वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80।2। सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रकरण आवश्यक

प्रकृति का होने से धारा 80।2। सी.पी.सी के तहत पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की अनुमति से हस्तगत वाद बिना नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। वादाधीन आराजियात ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का खूड़ भू. अ. नि. क्षैत्र खूड़ तहसील दांतारामगढ में स्थित होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार अदालत हाजा को हासिल है। वाद बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन का होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचित के तहत 6/–रुपयें की कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। अतः वाद वादीगण विरुद्व प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्तमान में दर्ज भूमियों का वादीगण प्रत्येक को अपने 1/7–1/7 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे तथा तदनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाकर राजस्व रिकार्ड संशोधित किया जावे तथा वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में वादीगण के उपयोग एवं उपभोग में हस्तक्षेप करने, मौका सुरत में तब्दिली करने, किसी दीगर व्यक्ति को अन्तरण करने, रहन रखने बेचान करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी सं. 01 से दिलवाया जावे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो वादीगण के पक्ष में हो सादर बक्सीस की जावें।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री नन्दलाल धायल हाजिर आये तथा प्रतिवादी सं. 2 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वाद पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
दांतारामगढ(सीकर)

Scanned by CamScanner

3 विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। दौरान बहस वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित भूमियां वादीगण की पैत्रिक कृषि भूमियां है तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जायन्दा पुत्रगण/पुत्री है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज सम्पदा जो वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित है, में वादीगण प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त है तथा उसी अनुरुप वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी शुदा भूमियां का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने वादीगण के पक्ष मे मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री कर वादीगण प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत सहमति प्रकट की। चूंकि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 मंगलाराम के जायन्दा पुत्रगण एवं पुत्री है तथा वाद पत्र में वर्णित सम्पदा वादीगण की पैत्रिक होना प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वीकृत है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से भी वादाधीन कृषि आराजियात पैत्रिक होना साबित है। कानूनन रुप से पिता के जीवनकाल में पुत्र/पुत्रीयां अपने हक हिस्से की उदघोषणा करवाने जाने की अधिकारीगण है तथा पैत्रिक सम्पदा में पिता के जीवनकाल में पुत्र/पुत्रीया का उनके हिस्से के अनुपात में कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा निहित होता है इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दूरस्ती का वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाकर वादाधीन भूमियों में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी में से वादीगण प्रत्येक को 1/7–1/7 हक हिस्से का काबिज खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी (न्याय)
[illegible] (हो.नग)

Scanned by CamScanner

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित कृषि भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 मंगलाराम के नाम से दर्ज खातेदारी भूमियों में सें वादीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक को 1/7 – 1/7 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णय मय डिक्री की पालना में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

भागूराम आदि बनाम मंगलाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन

मुकदमा नं0 94 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 26.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री रतनलाल पलसानियां** मिनजानिब मुद्दई व श्री नन्दलाल धायल मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम किया जाता है, कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिकी इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 1017 ता 1019 किता 3 कुल रकबा 2.97 है0, ख0नं0 961 ता 964 किता 4 कुल रकबा 2.73 है0, ख0नं0 965 ता 969 किता 5 कुल रकबा 5.09 है0 वाके ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में सें प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम के नाम दर्ज खातेदारी भूमियों में वादीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक को कमशः 1/7, 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.12.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत ...	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील ...	–	–	खर्चा गवाहान ...		
खर्चा गवाहान ...	–	–	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर ...	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा ...		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	–	–	मुतफर्रिक ...	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), दांतारामगढ

दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner